न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील कमांकः 75 / 2015 संस्थित दिनांक—05.03.2015 फाईलिंग नंबर—230303001482015

भजना उर्फ भजनलाल पुत्र सूबालाल आयु ४० साल जाति धोबी निवासी सिरनामसिंह किरार का मकान पान पत्ते की गोठ शीतला मंदिर के पास लश्कर ग्वालियर म0प्र0

.....<u>अपीलार्थी / आरोपी</u>

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०)पट्यर्थी / अभियोगी

> राज्य द्वारा श्री भगवानदास बधेल अपर लोक अभियोजक अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता

्रन्यायालय—श्री एस.के. तिवारी ,जे.एम.एफ.सी.,गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक—637 / 2011 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 03.02.2015 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

—::- <u>निर्णय</u> -::-

(आज दिनांक 13 अक्टूबर—2015) को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अपीलार्थी / आरोपी भजना उर्फ भजनलाल की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा—374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद, श्री एस.के. तिवारी द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 637 / 2011 निर्णय दिनांक—03.02.15 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा—25(1)(1—ख)(क) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 / रूपये(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
- 2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक—21.06.11 सहायक उप निरीक्षक सुरेश शर्मा थाना मालनपुर मय फोर्स के इलाका गस्त कर रहा था तब उसे जिरये मुखबिर सूचना मिली कि मालनपुर का रहने वाला भजना उर्फ भजनलाल कट्टा लिये वारदात करने की नीयत से रैनवैक्सी चौराहा पर सूर्या रोशनी फैक्ट्री रोड पर खडा है। सूचना की तश्दीक की तो आरोपी पुलिस की गाड़ी को देखकर जल्दी जल्दी चलने लगा जिसे घेरकर पकडा। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भजना उर्फ भजनलाल बताया था। उसकी जामा तलाशी ली तो उसकी कमर में एक 315 बोर का एक देशी हाथ का बना हुआ कट्टा मिला जो कि लोडेड हालत में था। उक्त आयुध रखने बाबत लायसेन्स पूछा तो न होना बताया। अतः आरोपी का उक्त अपराध धारा—25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से साक्षीगण के समक्ष उक्त कट्टा कारतूस को जप्त कर आरोपी को

गिरफ्तार किया गया एवं थाना वापिसी पर आरोपी के विरूद्ध अप0क0—103/11 अंतर्गत धारा—25/27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध की कायमी की गई। तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा—25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा—25(1)(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
- 4. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभियोजन साक्षी सुरेश शर्मा अ०सा०—5 एएसआई, शिवरामसिंह तोमर अ०सा०—4 आरक्षक, एवं राजिकशोर अ०सा०—2 सभी पुलिस के साक्षीगण हैं। तथा मात्र एक स्वतंत्र साक्षी रामनरेश है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विश्वास कर गलत दोषसिद्धि की है। तथा उन्होंने थाने की रवानगी वापिसी को सिद्ध नहीं किया है। तथा योगेन्द्रसिंह अ०सा०—3 आर्म्स क्लर्क के कथन से भी अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। अतः उपरोक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित निर्णय व दण्डाज्ञा अपास्त की जाकर आरोपी / अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे। जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोडा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी / आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दिखत किया जावे।
- 5. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :--
 - 1— "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?"
 - 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

-:- <u>निष्कर्ष के आधार</u> -:-

6. आरोपी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में उढाये गये बिन्दुओं की तरह तर्क करते हुए मूलतः इस बात पर बल दिया है कि आरोपी / अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है न ही उससे कोई कट्टा कारतूस जप्त हुआ है बल्कि पुलिस आरोपी को दर्शाई गई गिरफ्तारी के दो दिन पहले से ही माधौगंज ग्वालियर से उढाकर ले आई थी और झूंठे अपराध में उसे आरोपी बना दिया गया है। घटना का किसी भी स्वतंत्र व विश्वसनीय साक्षी द्वारा समर्थन नहीं है। जो साक्षी परीक्षित हुए हैं उनमें से स्वतंत्र साक्षी रामनरेश ने कोई समर्थन नहीं किया है। शेष पुलिस कर्मी होकर हितबद्ध हैं। यह तर्क भी किया गया है कि जिस तरह की घटना बताई गई है उसके संबंध में कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है न ही

जप्तशुदा हथियार को साक्ष्य में पेश किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि विरुद्ध है और आलोच्य निर्णय में की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त कर आरोपी को दोषमुक्त किया जावे। जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा कड़ा विरोध करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि भिण्ड जिले में अवैध हथियारों को लेकर चलने के मामले अत्यधिक होते हैं। ऐसे में स्वतंत्र साक्ष्य नहीं मिल पाती है और पुलिस कर्मी ही साक्षी होते हैं जो पदीय हैसियत से कार्य करते हैं इसलिये उन्हें अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और अपील यथावत रखी जावे।

- विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । 7. आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । अभियोजन कथानक में इस आशय की घटना बताई गई है कि दिनांक 21.06.11 को दिन के समय जब थाना मालनपुर में पदस्थ एएसआई सुरेश शर्मा मय पुलिस बल के गस्त के लिये रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि करके इलाके में गया था तब उसे इस आशय की मुखबिर की सूचना मिली थी कि भजना उर्फ भजनलाल धोबी जो मालनपुर का रहने वाला है, वह अवैध कट्टा वारदात करने की नीयत से रैन्वैक्सी चौराहा पर सूर्या फैक्ट्री के पास के मोड़ पर खड़ा हुआ है। तब उन्होंने सूचना की तश्दीक के लिये वहाँ जाकर देखा तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति जल्दी जल्दी चलने लगा जिसे घेरकर पकड़ा तो उसने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में बांई तरफ 315 बोर का एक देशी कट्टा हाथ का बना हुआ जिसमें कारतूस भी रखे पाया गया जिसका उसके पास कोई लायसेन्स न होने से उसे जप्त किया गया। तथा आरोपी को गिरफतार कर थाने लाकर उसके विरूद्ध प्र0पी0-6 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध की गई। तथा मौके की कार्यवाही पास में ही हाथ ठेला लगाने वाले रामनरेश और हमराह आरक्षक शिवरामसिंह तोमर के समक्ष करना बताई गई है।
- अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें अभियोजन की ओर से कुल पांच साक्षी पेश किये गये हैं जिनमें रामनरेशसिंह अ०सा०-1 जो कि मौके की कार्यवाही का पंच साक्षी होकर आम जनता का व्यक्ति था, उसने अपने अभिसाक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है और उसका यह कहना रहा है कि वह घटना के समय स्ट्रीट लाईट के ठेकेदार के यहाँ चौकीदार का काम करता था। पुलिस रात्रि गस्त में मिली थी। लेकिन उसके सामने न तो पुलिस ने किसी लड़के को पकड़ा, न पूछताछ की न उससे कोई हथियार बरामद किया। उक्त साक्षी ने गिरफतारी पत्रक प्र0पी0-1, जप्ती पत्रक प्र0पी0-2 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किये हैं जो पुलिस द्वारा करा लेना बताया गया है। किन्तु प्र0पी0-3 का पुलिस को कथन देने से वह इन्कार करता है। उसने पैरा—2 में यह अवश्य कहा है कि पुलिस की गाड़ी को देखकर संदेही व्यक्ति भागा था लेकिन वह कौन था, इसके बारे में उसकी साक्ष्य में कुछ भी नहीं आया है और वह भजना उर्फ भजनलाल नाम के व्यक्ति की गिरफतारी पुलिस द्वारा किये जाने का समर्थन नहीं करता है। हालांकि उसने प्र0पी0-1 वि/2 पर अपने हस्ताक्षर स्वेच्छ्या से करना बताये हैं किन्तु वह कथानक मुताबिक अभियोजन का समर्थन नहीं करता है जिसके कारण उसे अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं और उस पर भरोसा नहीं किया गया है। उसकी अभिसाक्ष्य से कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।
- 9. प्रकरण के शेष साक्षियों में अ०सा०–2 लगायत 5 सभी शासकीय सेवक व पुलिस

कर्मी हैं। कथानक मुताबिक घटना दोपहर के समय की बताई गई है, कोई स्वतंत्र साक्ष्य और पेश नहीं है। ऐसे में अ०सा0—2 लगायत 5 के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो जाता है जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय मानकर आरोपी / अपीलार्थी को वगैर वैध अनुज्ञा के आयुध अधिनियम 1959 की धारा—3 का उल्लंघन करते हुए 315 बोर का देशी कट्टा मय कारतूस के अपने आधिपत्य व संज्ञान में रखने के आधार पर आलोच्य निर्णय मुताबिक धारा—25(1)(1—ख)(क) आयुध अधिनियम 1959 के तहत दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसलिये यह देखना होगा कि अ०सा0—2 लगायत 5 की साक्ष्य विश्वसनीय मानने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि या तथ्य संबंधी कोई भूल या त्रुटि की गई है अथवा नहीं की गई है?

- 10. अ०सा०—2 के रूप में आरक्षक आर्म्स मुहरिर राजिकशोर का परीक्षण कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस लाईन भिण्ड में आर्म्स मुहरिर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के अप०क०—103/11 धारा—25/27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा बताये गये एक 315 बोर के देशी कट्टा व एक 315 बोर के कारतूस को जांच हेतु सीलबंद कपड़े में प्राप्त होने पर उसकी जांच कर प्र0पी0—4 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया है और यह कहा है कि जो कट्टा कारतूस जांच हेतु प्राप्त हुए थे वह कट्टा चालू हालत में था तथा कारतूस जीवित था और फायर किये जाने योग्य था। हालांकि जांच रिपोर्ट में समय का उल्लेख उसने नहीं किया है कि कब की थी, कितना समय लगा। लेकिन कट्टा कारतूस शास्त्रागार में जमा होना, जांच उपरान्त वापिस जमा किया जाना उसने बताया है। इस तरह से उक्त साक्षी ने पदीय हैसियत से भेजे गये कट्टे कारतूस की जांच करके प्र0पी0—4 की रिपोर्ट दी है जिससे कोई तात्विक विषंगित न होने के कारण यह तो प्रमाणित होता है कि प्र0पी0—4 मुताबिक जो कट्टा कारतूस वादी को जांच हेतु भेजे गये थे वह चालू हालत में फायर योग्य थे।
- 11. योगेन्द्रसिंह अ०सा०—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 06.07.11 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्मांक—503/11 दिनांक 23.06.11 के मार्फत थाना मालनपुर के अप०क०—103/11 से संबंधित केसडायरी एवं सीलबंद शस्त्र थाने के आरक्षक पवन के द्वारा पेश किये जाने पर उसका तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के द्वारा अवलोकन किया गया था और उसके पश्चात कट्टा कारतूस अवैध रूप से रखे पाये जाने के कारण अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो प्र0पी०—5 है जिस पर उसने अपने व तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों को भी पहचाना है और यह भी कहा है कि उसके सामने सीलबंद लिफाफा खोला गया था। कट्टा हाथ का बना था या कंपनी का था, यह वह नहीं बता सकता है। उसमें क्या लिखा था, क्या लंबाई चौडाई थी, वह यह भी नहीं बता सकता है। लेकिन इस बात से वह इन्कार करता है कि कट्टा कारतूस केस डायरी के साथ पेश नहीं हुए।
- 12. इस तरह से अ०सा0-3 के द्वारा दी गई साक्ष्य के मुताबिक जिला दण्डाधिकारी द्वारा केसडायरी के साथ प्राप्त हुए अवैध शस्त्र कट्टा कारतूस का अवलोकन करते हुए आयुध अधिनियम 1959 की धारा-39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दिये जाने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार अ०सा0-2 व 3 के अभिसाक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता

है कि जो कट्टा जांच व अभियोजन स्वीकृति को भेजे गये वह अवैध शस्त्र की श्रेणी में आते थे। फायर योग्य थे किन्तु वे आरोपी/अपीलार्थी भजना उर्फ भजनलाल के आधिपत्य व संज्ञान से ही बरामद हुए जब तक यह प्रमाणित न हो जावे तब तक उक्त दोनों साक्षी औपचारिक स्वरूप के रहेंगे। इसलिये यह बिन्दु कि कट्टा कारतूस वास्तव में आरोपी/अपीलार्थी से ही जप्त हुए इस बारे में अभियोजन की ओर से जो अन्य साक्षी पेश किये गये हैं उनका सूक्ष्मता से मूल्यांकन अपेक्षित हो जाता है।

- 13. इस संबंध में अभियोजन की ओर से कथानक मुताबिक बताये गये हमराह आरक्षक शिवरामिसंह तोमर अ०सा०–4 और प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही करने वाले विवेचक एवं परिवादी की हैसियत से आने वाले एएसआई सुरेश शर्मा अ०सा०–5 को परीक्षित कराया गया है और उनके अभिसाक्ष्य से ही यह देखना होगा कि क्या प्र०पी०–1 व 2 के दस्तावेज संदेह से परे प्रमाणित होते हैं या नहीं?
- 14. इस संबंध में अ०सा०-4 एवं 5 के मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य एक जैसे हुए हैं जिसमें उन्होंने एक दूसरे का समर्थन करते हुए यह बताया है कि दिनांक 21.06.11 को वह थाना मालनपुर में पदस्थ थे और उक्त दिनांक को हमराह पुलिस बल में साथ में वारंटियों की तलाशी के लिये गये थे। उनके साथ बृजराज व प्रदीप आरक्षक भी थे। शासकीय वाहन से वह गये थे। और एटलस तिराहा श्रीराम धर्मकांटा के बाद में उन्हें मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि भजना उर्फ भजनलाल कट्टा लिये रैन्वैक्सी चौराहे पर खड़ा है जिसकी तश्दीक के लिये वह गये और चौराहे पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की तो उन्हें देखकर आरोपी इधर उधर चलने लगा जिसे घेरकर पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भजना उर्फ भजनलाल निवासी मालनपुर बताया था। तलाशी लिये जाने पर वह कमर में बांई तरफ एक 315 बोर का लोडेड कट्टा रखे हुए मिला था जिसके चैम्बर में जिन्दा कारतूस लगा हुआ मिला था और आरोपी पर कट्टा कारतूस रखने का कोई लायसेन्स मांगने पर उसने न होना बताया जिससे उसका अपराध आयुध अधिनियम की धारा-25/27 के तहत दण्डनीय पाया जाने से मौके पर कार्यवाही की गई थी।
- 15. अ०सा०–5 ने मौके पर आरोपी से कट्टा कारतूस प्र0पी०–2 के द्वारा जप्त करना और प्र0पी०–1 के द्वारा उसकी गिरफ्तारी मौके पर ही करना बताया है जिसका समर्थन अ०सा०–4 भी अपने अभिसाक्ष्य में करता है। तत्पश्चात आरोपी को थाने पर लाकर उसके विरूद्ध प्र0पी०–6 की एफआईआर दर्ज करना अ०सा०–5 ने बताया है। उसके बाद आरक्षक शिवराम व पप्पू उर्फ रामनरेश के कथन भी वह लेखबद्ध करना बताता है। इस तरह से अ०सा०–5 की जप्ती प्रकरण में परिवादी और विवेचक दोनों की है। तथा शिवराम सिंह अ०सा०–4 अ०सा०–5 का अधीनस्थ कर्मचारी होकर हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आता है जिसके साक्ष्य के दौरान कट्टा आर्टिकल–ए–1 व कारतूस आर्टिकल ए–2 के रूप में पेश किया है जिन्हें देखकर उसने आरोपी से ही उनकी जप्ती होना बताया है।
- 16. कथानक मुताबिक और अ०सा०-4 व 5 के अभिसाक्ष्य मुताबिक वह थाने से वारंटियों की तलाश के लिये इलाके में पुलिस बल के साथ शासकीय वाहन से गये थे। रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि करना भी बताता है। प्र०पी०-6 की एफआईआर में रोजनामचासान्हा का उल्लेख अवश्य आया है किन्तु रोजनामचासान्हा को प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। विवेचक को यह भी पता नहीं है कि रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि

करके रवाना हुआ था या नहीं। वह एटलस तिराहे पर दिन के 12.10 बजे पहुंचना बताता है। आरोपी की जप्ती और गिरफ्तारी में 10—10 मिनट का समय लगन भी वह कहता है। उसके मुताबिक केवल पुलिस फोर्स के व्यक्ति थे। स्वतंत्र कोई व्यक्ति साथ में नहीं गया था। रामनरेश मौके पर ही मिला था और एफआईआर के बाद उसने साक्षीगण के कथन लिये थे।

- अ०सा०-4 के मुताबिक मुखबिर की जो सूचना मिली थी वह एएसआई सुरेश शर्मा 17. के मोबाईल पर गाड़ी में जब बैठे थे तब मिली थी। थाने से वह लगभग 12 बजे चलना बताता है। रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि के बारे में उसका यह कहना है कि एएसआई शर्मा के द्वारा ही की गई होगी। उसे पता नहीं है कि रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि की गई थी या नहीं की गई थी। गाड़ी को सुरेश शर्मा ही चला रहे थे। तीन आरक्षक थे और तीनों पीछे ही बैठे थे। मौके पर वह बारह सवा बारह बजे पहुंच गये थे। जो स्थान बताया था वहाँ आरोपी के अलावा पप्पू नाम का भी एक व्यक्ति गया था जो चाय पुड़िया का ठेला लगाये था। आरोपी को करीब साढे बारह बजे पकडा गया था। पकडने के एक मिनट के भीतर ही उसकी तलाशी ले ली थी। कट्टे को मौके पर ही सील्ड किया गया था क्योंकि वह सील्ड करने का सामान विवेचना का अंग होने से हमेशा साथ में रखते हैं लेकिन सील सिक्के के सील्ड करने के समय लगाये गये या नहीं व कितनी जगह चपड़ी लगाई गई, यह उसे ध्यान नहीं है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि बताई गई घटना के दो दिन पहले ही आरोपी को माधौगंज जिला ग्वालियर से पकडकर लाये थे और दो दिन थाने पर रखा था उस समय आरोपी क्या कपडे पहने था यह वह नहीं बता सकता। रोजनामचासान्हा भ्रमण के समय साथ में नहीं ले जाते हैं।
- 18. इस तरह से अ०सा०-4 व 5 के अभिसाक्ष्य से उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि की गई थी या नहीं की गई थी। अभिलेख पर रवानगी वापिसी का कोई रोजनामचासान्हा पेश भी नहीं किया गया है। अ०सा०-4 व 5 के मुताबिक घटना दोपहर के समय की है। ऐसे स्थान की है जहाँ आसपास फैक्ट्रियाँ हैं अर्थात् जनता के व्यक्ति की उपलब्धता वहाँ संभव हैं किन्तु प्र0पी०-1 व 2 की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षियों से कोई समर्थन नहीं है क्योंकि रामनरेश अ०सा०-1 ने कोई समर्थन नहीं किया है और दूसरे पंच साक्षी हमराह पुलिस आरक्षक शिवराम अ०सा०-4 है जिसकी प्रकरण में हितबद्धता भी है। ऐसे में मौके की कार्यवाही के लिये दोनों पंच साक्षी स्वतंत्र साक्षी बनाये जा चुके थे।
- 19. कथानक मुताबिक प्रदीप और बृजराज का भी साथ में पुलिस बल में होना बताया गया है जो कि प्रकरण के साक्षी बनाये ही नहीं गये हैं। हालांकि प्रकरण में आरोपी/अपीलार्थी की ओर से रंजिशन झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया है लेकिन कोई रंजिश उसने प्रकट नहीं की है। अतः रंजिश का उठाया गया बिन्दु महत्व नहीं रखता है। किन्तु दोपहर के समय स्वतंत्र साक्षियों का न होना, गस्त में पुलिस के मिलने की बात अ0सा0—1 द्वारा रात की बताई जाना संदेह पैदा करता है कि वास्तव में आर्टिकल ए—1 का कट्टा व आर्टिकल—ए—2 का कारतूस प्र0पी0—2 मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी से ही बताये गये समय व स्थान पर जप्त हुआ क्योंकि उसके संबंध में प्र0पी0—5 की साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसे योग्य प्रतीत नहीं होती है जिसके द्वारा स्वयं ही परिवादी की हैसियत से मौके की कार्यवाही की गई और एफआईआर दर्ज की गई फिर विवेचना भी स्वयं ही की गई जिसका वह कोई स्पष्टीकरण भी नहीं देता है। घटनास्थल का कोई नजरीय नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है जो यह दर्शित करे कि

आसपास पब्लिक का कोई व्यक्ति और उपलब्ध हो सकता था या नहीं। इसिलये अ०सा०—4 व 5 की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने में विद्वान अधीनस्थ न्यायायल द्वारा निश्चित रूप से विधिक त्रुटि की गई है। इसिलये उनकी साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर दोषसिद्धि की पुष्टि नहीं की जा सकती है और जप्ती संदिग्ध होने से अभियोजन का मामला आरोपी/अपीलार्थी भजना के विरुद्ध पूर्णतः संदिग्ध है। अतः आरोपी/अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा—25(1)(1—ख)(क) आयुध अधिनयम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 20. आरोपी न्यायिक निरोध में है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे।
- 21. आरोपी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमाशुदा अर्थदण्ड की राशि एक हजार रूपये अपील/रिव्हीजन उपरान्त विधिवत वापिस किये जावें।
- 22. प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस अपील/निगरानी अवधि पश्चात, विधिवत निराकरण हेतु डी.एम. भिण्ड को भेजे जावें । अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो । दिनांकः 13.10.15

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

भार्य) (पी.सी. आर्य) न्यायाधीश, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड